

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

स्टेडियम

क्र.सं.		धारा 4(1)(ख) के तहत 17 श्रेणियों का विवरण
1	संगठन का विवरण अनुभाग।	राजस्थान पुलिस अकादमी स्टेडियम
2	अधिकारियों / कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ।	(क) सहायक निदेशक (आउटडोर) – समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व। (ख) संचित निरीक्षक(प्रशासन) – शाखा से संबंधित समस्त प्रशासनिक कार्य एवं अन्य आउटडोर प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यकलापों का पर्यवेक्षण। (ख) प्रभारी स्टेडियम – कम्पनी कमाण्डर सम्पूर्ण स्टेडियम से संबंधित कार्यों का सम्पादन। (ग) सहायक स्टाफ – प्रदत्त कार्यों का सम्पादन।
3	निर्णय बनाने के लिए प्रक्रिया।	सहायक निदेशक (आउटडोर) के द्वारा उचित माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित कर निदेशक महोदय के आदेशानुसार निर्णय किये जाते हैं व आदेश की पालना की जाती है।
4	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदण्ड।	नियमानुसार प्रशिक्षण के कार्यों के निर्वहन जैसे प्रशिक्षणार्थी के खेल कांलाश का सफल आयोजन करवाना व अन्य दायित्वों के संबंध में मानक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार विविध कार्यों का सम्पादन।
5	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम।	निदेशक आर.पी.ए. द्वारा जारी नियम, विनियम, परिपत्रों के अनुसार कार्यों का सम्पादन। समय-समय पर जारी अन्य विनियम।
6	श्रेणियों का विवरण।	<ul style="list-style-type: none"> <li>● स्टॉक रजिस्टर</li> <li>● प्रवेश पत्र रजिस्टर स्टेडियम में संधारित।</li> </ul>
7	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
8	परामर्शदात्री समितियां अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
9	अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका।	सहायक निदेशक (आउटडोर), फोन न. 0141-2302131. पी.बी.एक्स नं०-506
10	अधिकारियों / कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक।	लेखा शाखा
11	बजट प्रत्येक एजेन्सी को आवंटित।	लेखा शाखा
12	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन।	लागू नहीं
13	रियायतें, परमिट पाने वाले का ब्यौरा।	लागू नहीं

14	एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना।	राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर उपलब्ध।
15	नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं।	लागू नहीं।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम विशिष्टताएं।	सहायक निदेशक (प्रशासन) लोक सूचना अधिकारी व निदेशक आरपीए प्रथम अपील अधिकारी।
17	ऐसी अन्य सूचनाएं।	विभाग द्वारा समय-समय पर सम्बन्धित सूचनाओं को प्रकाशित किया जाता है।